

MINIMUM WAGES (DELHI) AMENDMENT BILL, 2015

A Bill to amend the Minimum Wages Act, 1948, in its application to the National Capital Territory of Delhi;

WHEREAS; it is expedient further to amend the Minimum Wages Act, 1948, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the purposes hereinafter appearing

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty Fifth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) This Act may be called the Minimum Wages (Delhi) Amendment Act, 2015.
 - (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
 - (3) It shall come into force from the date of its notification.

2. **Amendment of Section 2 of Act 11 of 1948.**-In Section 2 of the Minimum Wages Act, 1948 (hereinafter "Principal Act"), in its application to the National Capital Territory of Delhi,--
 - (1) in Sub-paragraph (ii) of Clause (b) of the Principal Act of section 2, the words "[Stat Government]" the words the "Government of the National Capital Territory of Delhi" shall be substituted.

3. **Amendment of Section 3 of Act 11 of 1948.**-In Section 3 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--
 - (1) in Sub-section (1), for the words "appropriate government", the words "the Government of National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.
 - (2) in proviso to Paragraph (a) of Sub-section (1), for the words "appropriate government", the words "the Government of the National Capital Territory of Delhi" shall stand substituted.

(3) in proviso to Paragraph (b) of Sub-section (1), for the words “appropriate government”, the words “the Government of the National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.

(4) in Sub-section (1A), for the words “appropriate government”, wherever they occur, the words “the Government of the National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.

(5) in Sub-section (2), for the words “appropriate government”, the words “the Government of the National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.

4. **Amendment of Section 4 of Act 11 of 1948.**-In Section 4 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

(1) in Sub-section (1), for the words “appropriate government”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.

(2) in Paragraph (i) of Sub-section (1), for the words “appropriate government”, the words “the Government of the National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.

(3) After sub-section (2), the following shall be inserted:

“(3)The Government of National Capital Territory of Delhi, in fixing or revising the minimum rates of the wages under foregoing sub-sections, shall take into account the skill required, the arduousness of the work assigned to the worker, the cost of living of the worker, **and other such components which are related to fixing/revising minimum rates of wages as the Govt. may think appropriate.**”

5. **Amendment of Section 5 of Act 11 of 1948.**-In Section 5 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

(1) in Sub-section (1), for the words “appropriate government”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.

(2) in Sub-section (2), for the words “appropriate government”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.

(3) in proviso to Sub-section (2), for the words “appropriate government”, wherever they occur, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.

6. **Amendment of Section 7 of Act 11 of 1948.**-In Section 7 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words “appropriate government”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.

7. **Amendment of Section 9 of Act 11 of 1948.**-In Section 9 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words “appropriate government”, wherever they occur, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.
8. **Amendment of Section 10 of Act 11 of 1948.**-In Section 10 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, in Sub-section (1), for the words “appropriate government”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.
9. **Amendment of Section 11 of Act 11 of 1948.**-In Section 11 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--
- (1) in Sub-section (1), for the words “in cash”, the words “by depositing the same in the bank account of the employees, electronically or by **Accounts payee** cheque” shall be substituted.
- (2) After Sub-section (1), the following proviso shall be inserted:
“Provided that payment of wages to the workers employed on daily wages basis, not less than minimum wages as notified from time to time by the Government of National Capital Territory of Delhi may be made in cash .
Provided further that in special circumstances which are beyond the control of employer like- fire in the establishment, natural calamities, death of employer or director(s) of the establishment and other such circumstances as prescribed by Government of National Capital Territory of Delhi, the payment of wages may be made in cash”.
- (3) in Sub-section (2), for the words “appropriate government”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.
- (4) in Sub-section (3), for the words “appropriate government”, wherever they occur, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.
10. **Amendment of Section 13 of Act 11 of 1948.**-In Section 13 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, in Sub-section (1), for the words “appropriate government”, the words “the Government of National Capital Territory of Delhi” shall stand substituted.
11. **Amendment of Section 14 of Act 11 of 1948.**-In Section 14 of the Principal Act in its application to the National Capital Territory of Delhi,--
- (1) in Sub-section (1), for the words “the employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at the overtime rate fixed under this Act or under any law of the appropriate Government for the time being in force, whichever is

higher.”, the words “the employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at the overtime rate fixed under this Act which shall not be less than two times of the normal rate of wages fixed under this Act or under any other law of the Government of NCT of Delhi for the time being in force, whichever is higher.” shall stand substituted.

12. **Amendment of Section 20 of Act 11 of 1948.**-In Section 20 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--

(1) in Sub-section (2), after the words “or any Inspector,” the following words shall be inserted, “*or by any person or any organization duly authorized by the worker*”

(2) *After sub-section(3) of the section 20 of the Central Act No. 11 of 1948 the sub-section(3A) is inserted;*

“(3A)-During the pendency of the proceeding or inquiry in the application preferred by the workman under subsection(2), the workman shall not be retrenched, dismissed, terminated or laid-off without the prior approval of the Authority before whom the application is pending.

13. **Amendment of Section 22 of Act 11 of 1948.**-In Section 22 of “the Principal Act”, the words “shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.” shall be substituted with the words “shall be punishable with imprisonment for a term of three years, or with fine of fifty thousand rupees, or with both”.

14. **Amendment of Section 22A of Act 11 of 1948.**-In Section 22A of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words “five hundred rupees” the following words shall be inserted, “twenty thousand rupees or *imprisonment of 1 year or both*”.

15. **Amendment of section 22 B of Act 11 of 1948 :** After sub-section 2 of Section 22 (B) of Act 11 of 1948, subsection (3) shall be added “the court before whom the prosecution complaint is made under Section 22 (a) and (b) of the Act shall dispose of the same within a period of three months from the date of making of the complaint.

16. **Insertion of Sections 31A** -In the principal Act, after Section 31, the following shall be inserted.

31A. Uploading of employee data on website or web portal in the manner as may be prescribed by Government of National Capital Territory of Delhi.

MINIMUM WAGES (DELHI) AMENDMENT BILL, 2015

Statement of Objects and Reasons

Several states such as Gujarat and Rajasthan have effected state amendments in the Minimum Wages Act, 1948, to enhance the efficacy of the Act. Primarily, the focus has been on enhancing the penalty as well as making compliance easier for the employers by introducing electronic maintenance of records. To ensure that the benefit of minimum wages actually is received by the workers, these state amendments have substituted cash payments with a direct transfer of the wages into the bank account of the workers. The proposed Labour Codes on Wages Bill of the Government of India has also included such similar provisions. The Government of National Capital Territory, having ensured one of the highest levels of minimum rates wages of workers is intended to adopt such legislative trends, which are in favour of a more efficacious implementation of the minimum wages law.

In order to realistically examine and fix minimum rates of wages for different class/category of workers all necessary components of 'wage determination' which shall include not only basic calorie needs of a workman but also holistically shall include food, shelter, clothing, education for children, medical needs and other social commitments which are generally necessarily followed and adopted by all depending upon their financial earning capacity.

Legislative changes in the form of enhanced penalties and direct benefit transfer alone shall not be adequate to ensure that all workers are brought under the cover of this beneficial labour welfare enactment. It is common knowledge that in many establishments there are many workers who are engaged on amounts less than minimum rates of wages and in order to avoid compliance with the provisions of the Act, such workers are often not issued any proof or documents which could establish the 'employer-employee' relationship although these are statutorily prescribed documents/records under the provision of Minimum Wages Act, 1948 and rules framed thereunder and it is obligatory on the part of employers to maintain these records/documents.

न्यूनतम वेतन
(दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के लागू होने में इसका संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

जबकि, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसके बाद उल्लिखित प्रयोजनों के लिये इसका पुनः संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

भारत के गणराज्य के छियासठ वें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक प्रारम्भ एवं विस्तार.**— इस अधिनियम को न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
 - (2) यह समूचे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होगा।
 - (3) यह अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
2. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 2 का संशोधन.**— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (इसके बाद “मूल अधिनियम”) के अनुप्रयोग में इसकी धारा 2 में, —
 - (1) उपधारा (ज) के पैराग्राफ (1) के उप पैराग्राफ (ख)में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
3. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 3 का संशोधन.**— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 3 में —
 - (1) उपधारा (1) में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
 - (2) उपधारा (1) के पैराग्राफ (क) परन्तुक में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
 - (3) उपधारा (1) के पैराग्राफ (ख) के परन्तुक में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
 - (4) उपधारा (1क)में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” जहां कहीं भी आए, के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

- (5) उपधारा (2) में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
4. **1948 का अधिनियम 11 की धारा 4 का संशोधन.**— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 4 में,—
- (3) उपधारा (1) में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
- (4) उपधारा (1)के पैराग्राफ (झ) में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
- (3) उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे:
- “(3) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार पूर्वोक्त धाराओं के अन्तर्गत वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारण या संशोधन में कामगार के लिये अपेक्षित कौशल उसे सौंपे गए कार्य का परिश्रम, कामगार के जीवन निर्वाह का खर्चा तथा ऐसी अनघटक, जो वेतन की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन से संबंधित हैं, जैसा सरकार उपयुक्त समझती हो।
5. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 5 का संशोधन.**— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 5 में,—
- (1) उपधारा (1) में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
- (2) उपधारा (2) में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
- (3) उपधारा (2) के परन्तुक में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” , जहां कहीं ये आएंगे, के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
6. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 7 का संशोधन.**— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 7 में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
7. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 9 का संशोधन.**— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम लागू होने में इसकी धारा 9 में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
8. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 10 का संशोधन.**— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम लागू होने में इसकी धारा 10 की उपधारा (1) में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
9. **1948 के अधिनियम 11 की धारा 11 का संशोधन.**— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 11 में,—

(1) उपधारा (1) में आए शब्द “नकदी में ” के स्थान पर शब्द “कर्मचारियों के बैंक खाते में इसे इलेक्ट्रॉनिकली या अकाउंट पेइ चैक द्वारा जमा करना ” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगा:
“शर्त यह है कि दिहाड़ी वेतन आधार पर कार्यरत कामगारों के वेतन का भुगतान, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम न हो, नकदी में भुगतान किया जा सकता है।

आगे उपबन्ध है कि विशेष परिस्थितियां, जो नियोक्ता के नियंत्रण से परे हैं, जैसे-संस्थापना में आग लगना, प्राकृतिक आपदाएं, संस्थापना के नियोक्ता या निदेशकों की मृत्यु और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अन्य परिस्थितियों में, वेतन का भुगतान नकदी में किया जा सकेगा।”

(3) उपधारा (2) में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

(4) उपधारा (3) में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

10.1948 के अधिनियम 11 की धारा 13 का संशोधन.— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार में मूल अधिनियम के लागू होने में, इसकी धारा 13 की उपधारा (1) में आए शब्द “उपयुक्त सरकार” के स्थान पर शब्द “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

11.1948 के अधिनियम 11 की धारा 14 का संशोधन.— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के लिये मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 14 में संशोधन,—

(1) उपधारा (1) में आए शब्द “नियोक्ता इस अधिनियम के अन्तर्गत या उस समय विद्यमान उपयुक्त सरकार की किसी विधि के अन्तर्गत निश्चित समय पर भत्ते की दर से अधिक दर पर, जो भी अधिक हो, किए गए कार्य के लिये उसे प्रत्येक घंटे या किसी घंटे के भाग के लिये भुगतान करेगा” के स्थान पर शब्द “नियोक्ता इस अधिनियम के अन्तर्गत या उस समय विद्यमान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की किसी अन्य विधि के अन्तर्गत निश्चित वेतन की सामान्य दर से, जो दो गुणा से कम न हो, जो भी अधिक हो, पर भुगतान करेगा” प्रतिस्थापित माने जाएंगे।

12.1948 के अधिनियम 11 की धारा 20 का संशोधन.— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 20 में,—

(1) उपधारा (2) में शब्द “अथवा कोई निरीक्षक” के बाद निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे “अथवा कामगार द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा”

(2) 1948 के केन्द्रीय अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के बाद उपधारा (3क) सन्निविष्ट की जाएगी;

“(3क) उपधारा (2) के अन्तर्गत कामगार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कार्यवाही या जांच की देरी के दौरान कामगार की छंटनी, पदच्युत, पद से मुक्त नहीं की जाएगी / किया जाएगा या जिस प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र है, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना अस्थाई छंटनी नहीं की जाएगी।

13. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 22 का संशोधन.— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 22 में आए शब्द “पांच सौ रुपये” निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे; पचास हजार रुपये, या 3 वर्ष का कारावास या दोनों।”

14. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 22क का संशोधन.— दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 22क में आए शब्द “पांच सौ रुपये” के लिए निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे; बीस हजार रुपये, या 1 वर्ष का कारावास या दोनों।”

15. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 22ख का संशोधन.— 1948 के अधिनियम 11 की धारा 22(ख) की उपधारा 2 के बाद उपधारा (3) जोड़ी जाएगी “अधिनियम की धारा 22(क) एवं (ख) के अन्तर्गत जिस न्यायालय के समक्ष अभियोग सम्बन्धी शिकायत की गई है, वह न्यायालय शिकायत होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर इसका निपटान करेगा।

16. धारा 31(क) को सन्निविष्ट करना—मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्न को सन्निविष्ट किया जायेगा—

31क. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित पद्धति से वेबसाइट या वेब पोर्टल पर कर्मचारी का विवरण अपलोड करना ।

न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक , 2015

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

गुजरात और राजस्थान जैसे कुछेक राज्य ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 को और प्रभावशाली बनाने के लिये राज्यों ने इसमें संशोधन किए हैं। मुख्यतः दण्ड बढ़ाने और अभिलेख का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव प्रारम्भ करने के लिये और अनुपालन सुगम बनाने पर विचार किया गया है। कामगारों द्वारा न्यूनतम वेतन वास्तव में प्राप्त किया गया है इसे सुनिश्चित करने के लिये इन राज्य सरकारों ने कामगारों को वेतन नकद भुगतान करने के स्थान पर उनके बैंक खाते में सीधे अन्तरण किया जाता है। भारत सरकार के वेतन विधेयक की प्रस्तावित श्रमिक संहिताओं में इसी प्रकार के उपबन्ध भी सम्मिलित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार कामगारों के वेतन की न्यूनतम दरों में से एक उच्चतम दर सुनिश्चित करने के लिये ऐसा विधायी कानून पारित कराना चाहती है, जो न्यूनतम मज़दूरी कानून के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के पक्ष में हों।

भिन्न-भिन्न प्रकार/श्रेणी वर्ग के कामगारों के लिये वेतन की न्यूनतम दरों की वास्तविक रूप में जांच करने और निर्धारण हेतु वेतन निर्धारण के सभी आवश्यक घटकों की वास्तविक जांच की जाए, जिसमें किसी कामगार की केवल मूलभूत आवश्यकताएं सम्मिलित न हो, अपितु इसमें भोजन, आवास, कपड़ा, बच्चों के लिये शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकताएं जैसे कल्याणकारी कार्य एवं सामाजिक दायित्व भी सम्मिलित हों जिनका सामान्यतः उनके लिए अनुसरण किया जाता है और अपनाया जाता है, जो सभी उनकी कमाई पर निर्भर होते हैं।

न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिये दण्ड बढ़ाना और केवल लाभ सीधे अन्तरण करने के रूप में विधायी परिवर्तन करने पर्याप्त नहीं होंगे कि इस लाभप्रद श्रमिक कल्याण कानून के अन्तर्गत सभी कामगार लाए गए हैं। यह आम बात बन गई है कि बहुत सारी संस्थापनाओं में बहुत सारे ऐसे कामगार हैं, जिन्हें मज़दूरी की न्यूनतम दरों से भी कम दरों पर तैनात किया गया है और ताकि अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन से बचा जा सके। ऐसे कामगारों को प्रायः किसी प्रकार का प्रमाण या प्रलेख जारी नहीं किये जाते हैं जिससे 'नियोक्ता-कर्मचारी' के बीच सम्बद्ध स्थापित किया जा सके। हालांकि ये न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 और इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों उपबन्धों के अन्तर्गत विधिक निर्धारित प्रलेख/अभिलेख है। विधिक और नियोक्ताओं को यह अभिलेख/प्रलेख बनाने अनिवार्य होते हैं।